

सरोगेसी वनियमन वधियक

प्रीलमिस के लयि:

सरोगेसी वनियमन वधियक

मेन्स के लयि:

सरोगेसी से जुड़े प्रमुख मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक [प्रवर समिति](#) (Select Committee) ने सरोगेसी वनियमन पर अपनी रिपोर्ट पेश की है।

मुख्य बडि:

- इस प्रवर समिति का गठन राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में किया गया था।
- प्रवर समिति ने [‘सरोगेसी वनियमन वधियक, 2019’](#) पर अपनी रिपोर्ट पेश की है।

समति की प्रमुख सफ़ारशें:

- वधियक के ‘करीबी रश्तेदारों’ (Close Relatives) वाले खंड को हटा दिया जाना चाहिये और किसी भी ‘इच्छुक’ (Willing) महिला को सरोगेट माँ बनने की अनुमति दी जानी चाहिये। साथ ही यदि उपयुक्त प्राधिकारी ने सरोगेसी को मंजूरी दे दी है तो अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये।
- वाणज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
- 35-45 वर्ष आयु-वर्ग की तलाकशुदा और वधिया महिलाओं को ‘सिंगल कमीशनिंग पैरेंट’ (Single Commissioning Parent) होने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- नःसंतान ववाहति जोड़ों के लयि पाँच वर्ष की प्रतीक्षा अवधि को उस स्थिति में हटा देना चाहिये यदि चकित्सा प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करता है कि वे गर्भधारण करने में असमर्थ हैं।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों को सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- समति ने सिंगल कमीशन पैरेंट की परिभाषा में एकल पुरुष या महिलाओं को शामिल नहीं करने की सफ़ारश है। इसका मतलब है कि तुषार कपूर, करण जौहर और एकता कपूर जैसे लोग बच्चों के लयि सरोगेसी मार्ग का उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे।
- प्रवर समति द्वारा यह भी सफ़ारश की गई है कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (वनियमन) वधियक [Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill] को सरोगेसी (वनियमन) वधियक, 2019 से पहले लाया जाना चाहिये।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (वनियमन) वधियक:

- ART वधियक को 2008 से बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य सभी आईवीएफ(IVF) क्लीनिकों और शुक्राणु बैंकों (Sperm Banks) को वनियमति करना है।
- यह ART क्लीनिकों और युग्मक बैंकों (Gamete Banks) को भी पृथक करेगा।

पूर्व में संसदीय पैनल द्वारा वधियक पर दी गई सफ़ारशें:

- इस वधियक की पहले भी स्वास्थ्य और परवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समतिद्वारा जाँच की गई थी ।
- समतिने सफारशि की थी कि मुआवज़े की शर्त को अधनियिम में जोड़ा जाना चाहिये और 'परोपकारी' (altruistic) शब्द को 'कषतपूरति' (Compensated) शब्द से प्रतस्थापति कर देना चाहिये ।
- 'लवि-इन रलेशनशिप' को युगल (Couple) की परभाषा में शामिल करना चाहिये और उन्हें परवार के भीतर एवं बाहर दोनों से सरोगेट चुनने की अनुमति होनी चाहिये ।
- 'नकिट संबंधी' प्रावधान का पतिवृत्तात्मक पारवारिक संरचना में दुरुपयोग हो सकता है जहाँ इच्छुक दंपत्तिके करीबी रशितेदार को सरोगेट बनने के लिये मजबूर किया जा सकता है जो वाणज्यिक सरोगेसी की तुलना में और भी अधिक शोषणकारी होगा ।
- ART और सरोगेसी वधियकों को अलग-अलग पेश करने के स्थान पर एक साथ पेश करना चाहिये तथा सरोगेसी वधियक को ART वधियक के एक भाग के रूप में शामिल करना चाहिये ।

नषिकरष:

परवर समतिने अधकिंश वही सफारशियाँ पुनः पेश की हैं जिनको सरकार पहले ही खारजि कर चुकी है । सरकार परवर समतिकी सफारशियों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये स्वतंत्र है, हालाँकि मूल वधियक जसिकी अनेक वद्वानों ने रूढविदी वधियक कहकर आलोचना की थी, में अंततः कुछ प्रगतशील संशोधन देखे जा सकते हैं ।

स्रोतःद हदि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/surrogacy-regulation-bill-2>

